भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- †3064**

उत्तर देने की तारीख- 06/08/2026

**जनजातीय समुदायों हेतु सिफारिशों पर कार्रवाई**

†3064. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय समुदायों ने अपने हालिया मंथन सत्र के दौरान विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 100 से अधिक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उन्होंने वन अधिकार अधिनियम को सुदृढ़ करने और वन अधिकार समितियों के विस्तार की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उन्होंने न्यायिक आयोग सहित उपयुक्त तंत्रों के माध्यम से लंबे समय से लंबित जनजातीय भूमि विवादों के समाधान की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

**(क) से (घ):** जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में जनजातीय समुदायों के साथ कोई विचार-मंथन सत्र आयोजित नहीं किया है। इसके अलावा, किसी भी राज्य सरकार ने अपने द्वारा आयोजित किसी विचार-मंथन सत्र से निकली ऐसी कोई सिफारिशें नहीं सौंपी हैं।

******